भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

परिपत्र : रूपे/2015-16/46 मार्च 29, 2016

परिपत्र : रूपे बीमा कार्यक्रम : 2016-2017

1. रूपे कार्ड योजना, यह स्वदेशी नेटवर्क, भारत में कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को / संस्थाओं को सुरक्षित, सदृढ, नापयोग्य, आसान, पारदर्शक, इस्तेमाल में आसान, विस्तृत तथा मजबूत उपाय प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है । हमारी सेवाओं को और बेहतर बनाने हेतु हमने नॉन-प्रीमियम कार्ड पर रू. 1 लाख की बीमा सुरक्षा एवं रूपे प्रीमियम कार्ड पर रू. 2 लाख की बीमा सुरक्षा (केवल दुर्घटनात्मक मृत्यु या स्थायी संपूर्ण विकलांगता) पात्र रूपे कार्डधारकों के लिए शुरू की है ।

2. रूपे बीमा कार्यक्रम, वर्ष 2015-16 के लिए परिपत्र : रूपे/20/2015-16, दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा जारी किया गया था ।

3. हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड के साथ यह बीमा योजना 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक अर्थात् वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भी प्रभावशाली रहेगी ।

4. इस योजना को उसकी काल अवधि के बाद बढ़ाना अंतर्गत परीक्षण/समीक्षा पर निर्भर होगा और इसमें सम्मिलित बैंकों के साथ परामर्श करने के पश्चात् सुचारू रुप से वित्त वर्ष 2016-17 के समाप्त होने से पूर्व उसकी सूचना दी जाएगी ।

5. हम रूपे बीमा योजना 2016-17 की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित तौर पर दे रहे हैं ।

कृपया ध्यान में रखें :

1. रूपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 के लिए एनपीसीआई के साथ बीमा हेतु न्यू इन्डिया एश्योरन्स कं. लि. पार्टनर के रूप में जारी रहेगी ।

2. जहाँ पर दुर्घटना 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 के बीच घटित हुई है ऐसे सभी दुर्घटनात्मक दावे रूपे बीमा योजना 2016-17 की परिधि में आते हैं ।

3. इसलिए, सभी बैंकों को ऐसे दावे के बारे में दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा और ततपश्चात मूल्यांकन करने हेतु जानकारी देनी होगी ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

क. नियम एवं शर्तें :

1. सभी रूपे कार्डधारक (भौतिक अथवा परोक्ष रूपे कार्डधारकों के लिए वैध) अर्थात् आईआईएन पर जारी किए गए सभी कार्डधारक रूपे बीमा योजना 2016-17 के तहत सुविधा का लाभ उठाने हेतु पात्र रहेंगे । बीमा के लाभ उन सभी कार्डधारकों के लिए उपलब्ध होंगे जिन्होंने बैंकांतरिक और अंतर बैंक में से किसी भी एक चैनल पर यथा हमारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (एटीएम / माइक्रो एटीएम / पीओएस / ई-कॉम / बैंक की शाखा के कारोबार प्रतिनिधि के पास किसी भी भुगतान लिखत के जरिए) कम-से-कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन किया हो ।

   क. प्रीमियम कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 45 दिनों के अंदर ।

   ख. गैर-प्रीमियम कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर ।

नोट : लेन-देन के प्रकार का मतलब है कि ग्राहक द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत के द्वारा किये गये सभी लेन-देन चाहे वे हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से हों (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो उसी बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) और/या अप्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो अन्य बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) ।

2. रूपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 के तहत रूपे कार्डधारक, मुआवजे के लिए प्रतिकार्डधारक या प्रतिग्राहक केवल 1 के लिए पात्र होगा । चाहे कार्डधारक के पास उस या अलग बैंक के मापदंड में खरे उतरने वाले एक से अधिक कार्ड क्यों न हो । दावे के लिए कौनसे कार्ड का चयन करना है यह ग्राहक के ऊपर निर्भर होगा ।

3. मृत्यु या स्थायी संपूर्ण विकलांगता से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मृत्यु और स्थायी संपूर्ण विकलांगता के लिए यह खुली बीमा पॉलिसी है ।

4. यदि दुर्घटना की तिथि निम्नानुसार हो :-

   क) प्रीमियम कार्डधारकों के लिए दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 45 दिनों के अंदर हो और

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

ख) गैर-प्रीमियम कार्डधारकों के लिए दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर हो तो रूपे कार्ड जारी करने की तिथि से यह योजना कार्डधारक के पक्ष में रहेगी चाहे फिर कार्ड द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार न किया गया हो ।

5. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 साल से अधिक आयु के सभी रूपे कार्डधारकों के लिए उपलब्ध है बशर्ते बीमा योजना की सभी शर्तों व नियमों की पूर्ति की गयी हो ।

6. दावा हेतु प्रक्रिया के तहत बताये गए सभी कागजात पूरी तरह से प्रस्तुत करने पर पात्र लाभार्थी को बीमा का मुआवजा दिया जाएगा ।

7. लाभार्थी के आवेदन पर बीमा के दावा फॉर्म भरते समय, सदस्य बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभार्थी संबंधित देश के कानून के मुताबिक वास्तविक लाभार्थी है ।

8. सदस्य बैंक, माध्यम द्वारा संपर्क में आने वाले उनके ग्राहकों को तथा कार्डधारकों को बीमा योजना, महत्वपूर्ण नियम व शर्तें, दावा सूचना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने हेतु जिम्मेदार रहेंगे ।

9. सदस्य बैंकों को सक्रियतापूर्वक अपनी वेबसाईट/संकेत स्थल, कॉल सेन्टर, शाखाओं इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध लाभ के बारे में प्रचार करना होगा और आरबीआई द्वारा पारित फोन्ट विनिर्देश के मुताबिक बीमा योजना की जानकारी तथा नियम एवं शर्तों को अपनी वेलकम किट् में पुस्तिका / सूचनापत्र और उपयोग गाइड के स्वरूप में प्रदर्शित करना होगा ।

ख. दावे की प्रक्रिया :

1. पॉलिसी के तहत बीमा के लाभ का दावा सदस्य बैंक द्वारा किया जाना चाहिए । एनपीसीआई ने रूपे कार्ड में इस मूल्यवर्धित सेवा की व्यवस्था की है । तथापि, प्रक्रिया में प्रावधान रखा गया है कि सदस्य बैंक को प्रस्तुत दस्तावेज में निर्दिष्ट दावा प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्यक्ष तौर पर दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड पर दावा पंजीकृत करना होगा ।

2. संलग्न किए गए कागजात अर्थात् दावा प्रक्रिया, सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न और दावा फॉर्म जिनका सदस्य बैंक, किसी माध्यम या रूपे कार्डधारक के साथ वार्तालाप या संपर्क के दौरान विशेषताएँ बतलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

3. दावे की सूचना दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर दी जानी चाहिए । यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुआ हो (तथा परिस्थिति गंभीर हो) और वह हानि / दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर दावा पेश करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में यह मामला दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, जाँच के लिए स्वीकृत करेगी और यदि संदर्भित पॉलिसी के अंतर्गत सभी नियम व शर्तें दुर्घटना के दिन पर सुसंगत हो तो उसे स्वीकार करेगी ।

4. दावे की सूचना के पश्चात् 60 दिनों के अंदर दावे से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा ।

5. पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद तथा पात्रता का मूल्यांकन होने के बाद दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा 10 कार्यालयीन दिनों में दावा राशि का भुगतान किया जाएगा ।

6. एनपीसीआई से किसी अन्य सहयोग प्राप्त करने हेतु, सदस्य बैंक rupayinsurance@npci.org.in इस ई-मेल पते पर संपर्क कर सकते हैं ।

इस विषय पर अधिक स्पष्टीकरण हेतु आप एनपीसीआई के संपर्क प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं ।

भवदीय,

दिलीप अस्बे
मुख्य परिचालन अधिकारी

अनुलग्नक :

अनुक्रम	परिशिष्ट	दस्तावेजों के नाम	टिप्पणी
1.	ए	दावा प्रक्रिया	ग्राहक की जानकारी / प्रशिक्षण तथा बैंक के अंतर्गत जानकारी / प्रशिक्षण हेतु बैंकों के इस्तेमाल के लिए ।
2.	बी	सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न	ग्राहक की जानकारी / प्रशिक्षण तथा बैंक के अंतर्गत जानकारी / प्रशिक्षण हेतु बैंकों के इस्तेमाल के लिए ।
3.	सी	दावा फॉर्म - दुर्घटना मृत्यु/स्थायी संपूर्ण विकलांगता	फॉर्म
4.	डी	सदस्य बैंक द्वारा घोषणा	सदस्य बैंक के संदर्भ हेतु

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

परिपत्र : रूपे/2016-17/008 मई 13, 2016

रूपे बीमा कार्यक्रम : 2016-2017 - शाखा में निष्पादित लेन-देन

हम दिनांक 12 अप्रैल 2016 के ''रूपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 परिशिष्ट'' विषयक परिपत्र : रूपे / 2016-17 / 001 का संदर्भ देते हैं जिसमें 'लेन-देन' शब्द की परिभाषा निम्नानुसार संशोधित की गयी है :-

''लेन-देन के प्रकार का मतलब है कि ग्राहक द्वारा बैंक शाखा में या किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत के द्वारा किये गये सभी लेन-देन चाहे वे हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो उसी बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) और/या अप्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो अन्य बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो ।)''

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यदि लेन-देन की उक्त परिभाषा के अनुसार कोई दावा प्रस्तुत हो तो संलग्न फॉर्मेट के अनुसार कृपया घोषणा प्रदान करने की व्यवस्था करें । दावा प्रस्तुत करते समय जमा किए जानेवाले दस्तावेजों के अतिरिक्त यह जानकारी देनी होगी ।

''रूपे बीमा कार्यक्रम 2016-17'' में दी गयी अन्य सभी शर्तें एवं नियम अपरिवर्तित रहेंगे ।

और अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया अपने प्रश्न rupayinsurance@npci.org.in पर भेजें ।

भवदीय,

(दिलीप अस्बे)
मुख्य परिचालन अधिकारी

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
उम्र ..... वर्ष, खाता क्रमांक ..... को हमारे बैंक द्वारा निम्नलिखित रूपे कार्ड जारी किया गया था ।

हमारे रिकार्ड के अनुसार ग्राहक ने दि. ..... (लेन-देन तिथि) को ..... शाखा में लेन-देन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

बैंक शाखा में ग्राहक द्वारा किये गए लेन-देन के विवरण :- .....

.....

.....

लेन-देन दिनों के (45/90)* इस्तेमाल का मापदंड पूरा करता है : हाँ / नहीं

* रूपे प्रीमियम कार्डधारकों के लिए 45 दिनों का इस्तेमाल मापदंड ।

* रूपे क्लासिक कार्डधारकों के लिए 90 दिनों का इस्तेमाल मापदंड ।

बैंक अधिकारी के विवरण :-

क. शाखा अधिकारी का नाम : .....

ख. बैंक का नाम : .....

ग. शाखा का नाम : .....

घ. संपर्क क्रमांक :

1. मोबाइल क्रमांक : .....
2. दूरभाष क्रमांक : .....
3. ई-मेल पता : .....

मैं / हम एतद्द्वारा पूर्णतः इस बात की पुष्टि करता/करती/करते हूँ/हैं कि उक्त कथन मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

बैंक शाखा की मुहर

दिनांक : .....

नोट : दावों का भुगतान बीमा कंपनी की शर्तों और नियमों के अनुसार होगा ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

दावा प्रक्रिया - रूपे कार्ड व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए दावा प्रक्रिया

क) दावा सूचना :

1. सभी दुर्घटना दावे जहाँ पर दुर्घटना 1 अप्रैल 2016 के दिन 00:00:00 बजे या उसके बाद से 31 मार्च 2017 को 23:59:59 बजे तक या उसके पहले हुई हो तो ऐसे सभी दावों की सूचना rupay@newindia.co.in निर्देशित संकेत स्थल पर करें ।

2. दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड ऐसे दावे दर्ज करेगी और संदर्भित बैंक को 2 कार्य - दिन की समयावधि में विषय पंक्ति में पॉलिसी संख्या के साथ दावा संख्या भी प्रदान करेगी ।

3. दावे की सूचना दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर भेजनी होगी । यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुआ हो (तथा उसकी स्थिति गंभीर हो) और वह दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर दावा पेश न कर सके तो ऐसी स्थिति में यह मामले दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड जाँच करने हेतु स्वीकृत करेगी और उनका भुगतान तभी करेगी जब संबंधित पॉलिसी के अंतर्गत सभी नियम व शर्तें दुर्घटना के दिन सुसंगत हों ।

ख. दस्तावेज रसीद / आगे की कार्यवाही करना :

सभी दस्तावेज दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड के कार्यालय में निम्नलिखित पते पर प्राप्त होने चाहिए :

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक

विभाग - रूपे बीमा कार्यक्रम - 2016-17

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

मंडल कार्यालय - 142300

पहली मंजिल, एनसीएल भवन

प्लॉट नं. सी - 69, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

1. दावे की सूचना दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर भेजनी होगी । यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुआ हो (तथा उसकी स्थिति गंभीर हो) और वह दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर दावा पेश न कर सके तो ऐसी स्थिति में यह मामले दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, जाँच करने हेतु स्वीकृत करेगी और उनका भुगतान तभी करेगी जब संबंधित पॉलिसी के अंतर्गत सभी नियम व शर्तें दुर्घटना के दिन सुसंगत हों ।

2. दावे की सूचना के 60 दिनों के अंदर दावे से संबंधित सारे दस्तावेज भेजना अनिवार्य है ।

3. पात्र / योग्य दावे सम्पूर्ण दस्तावेज सहित प्राप्त होने के पश्चात् 10 कार्य - दिनों के अंदर निपटाए जाएँगे ।

4. यदि दावे की सूचना के 60 दिनों के अंदर दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए तो सदस्य बैंक को ई-मेल संदेश के साथ प्रथम स्मरणपत्र की हार्ड कॉपी भेज दी जाएगी ।

5. द्वितीय स्मरणपत्र की हार्ड कॉपी दावे की सूचना के 81 (इक्यासी) दिनों के बाद ई-मेल संदेश के साथ भेजी जाएगी ।

6. समापन पत्र, पत्र की हार्ड कॉपी, सदस्य बैंक को दावे की सूचना के 90 वे दिन पर भेजी जाएगी, यदि सदस्य बैंक ने कोई संवाद - संपर्क न किया हो तो ।

ग. अन्वेषक की नियुक्ति (विशिष्ट मामलों में जहाँ विस्तृत जाँच की जरूरत है) :

दावे की गुणवत्ता के आधार पर दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड अन्वेषण काम के लिए टीम को नियुक्त करेगी । टीएटी:टी+3 (टी वह दिन है जिस दिन सदस्य बैंक से दावे के कागजात प्राप्त हुए ।)

30 दिनों के अंदर, जाँच रिपोर्ट पूर्ण की जाएगी । यदि किसी अन्य तथ्य के कारण विलंब होता है तो अंतरिम रिपोर्ट के लिए अनुरोध किया जाएगा ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

घ. दावे से संबंधित आगे की कार्यवाही / प्रक्रिया :

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य बैंक को तथा ग्राहक को निर्दिष्ट अवधि के अंदर दस्तावेज जमा करने हेतु नियमित अंतराल पर दावे के लिए शेष दस्तावेज के लिए स्मरणपत्र एवं ई-मेल कॉपी भेजी जाती रहेगी । आगे की कार्यवाही से संबंधित सभी ई-मेल एनपीसीआई बीमा ई-मेल rupayinsurance@npci.org.in पर भेजनी होगी ।

कागजातों में चूक या कोताही बरतने पर भी स्मरण प्रक्रिया वही होगी ।

प्रथम स्मरणपत्र टी+61

द्वितीय स्मरणपत्र टी+81

समापन पत्रे टी+90

टी दावा सूचित करने की तारीख है ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

च. तेजी का ढाँचा :

दावे और पॉलिसी के प्रबंधन के लिए

अनु.क्र.	बढ़ता स्तर	नाम	पद	ई-मेल पता	संपर्क क्रमांक
1.	प्रथम	श्रीमती अंजली मिरचंदानी	वरिष्ठ मंडल प्रबंधक	anjali.mirchandani@newindia.co.in	9869792843
		श्री आनंद अमृतकर	सहायक प्रबंधक	anand.amritkar@newindia.co.in	9869042249 9029941505
		श्री वी. सुब्रमणियन	प्रशासनिक अधिकारी	vaidyanathan.subramanian @newindia.co.in	9867231654
2.	द्वितीय	श्री लोकनाथ सेठी	क्षेत्रीय प्रबंधक	loknath.sethi@newindia.co.in	8879828602
3.	अंतिम	श्री राजेश	मुख्य प्रबंधक	rajesh@newindia.co.in	9819123334

छ. दावा भुगतान :

एक बार दावा स्वीकृत हो जाने पर कार्डधारक को एनइएफटी द्वारा आवरण पत्र के साथ भुगतान किया जाएगा । (विकलांगता होने पर (मृत्यु होने पर) नामिति अथवा विधिक उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा ।)

ज. विवाद प्रबंधन :

निम्नलिखित 3 लोगों की समिति विवाद का समाधान करने हेतु नियुक्त की जाएगी ।

1. दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड का प्रतिनिधि
2. एनपीसीआई का प्रतिनिधि
3. प्रतिवादी बैंक / बैंकों के प्रतिनिधि

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

झ. दस्तावेज सूची :

झ1. दुर्घटनात्मक मृत्यु दावा :

1. दाव फॉर्म यथायोग्य सम्पूर्ण भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित किया हुआ ।
2. मृत्यु पत्र की मूल अथवा प्रमाणित प्रति ।
3. एफ आई आर, पंचनामा / तहकीकात पंचनामा मूल या प्रमाणित प्रति ।
4. कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ एवं बैंक की मुहर लगी घोषणा कि :-
   - क) कार्डधारक के पास रूपे द्वारा जारी आईआईएन के तहत रूपे कार्ड है और उसका 16 डिजीट का कार्ड क्रमांक लिखें ।
   - ख) 90/45 दिनों के इस्तेमाल का मापदंड पूरा किया गया है (सिस्टिम से लेन-देन का अभिलेख दर्शायें) ।
   - ग) नामिति के विवरण (एनईएफटी विवरण के साथ) ।

*अधिक दस्तावेज मामले की जरूरत के मुताबिक माँगे जा सकते हैं जैसे कि वैद्यकीय रिपोर्ट, पोस्टमोर्टम रिपोर्ट इत्यादि ।

झ2. स्थायी संपूर्ण विकलांगता :

1. दाव फॉर्म यथायोग्य सम्पूर्ण भरा हुआ एवं हस्ताक्षर किया हुआ ।
2. रिहाई कार्ड जिसमें मामले की जानकारी की पुष्टि और अवधि तथा संबंधित / इलाज करने वाले चिकित्सक / शल्य चिकित्सक द्वारा विकलांगता का प्रमाण प्रतिशत विधिवत् प्रमाणित किया गया हो ।
3. सभी अन्वेषण रिपोर्टों की मूल प्रति जहाँ पर दुर्घटना से संबंधित जाँच हुई हो ।
4. अधिक दस्तावेज, यदि जरुरत पड़े तो, हानि के प्रमाण के अनुसार ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

5. कार्ड जारी करने वाले बैंक द्वारा घोषणापत्र जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यथोचित हस्ताक्षरित किया गया हो और उस पर बैंक की मुहर लगाई हो :

   बैंक का घोषणापत्र उल्लेखित करता है कि :

   क) कार्डधारक के पास रूपे कार्ड है जो आई. आई. एन. पर जारी किया गया है और कार्ड का 16 अंकों का नंबर लिखिए ।

   ख) 90/45 दिनों के इस्तेमाल के मापदंड पर खरा उतरता है । (जिसमें प्रणाली द्वारा व्यवहार का रिकार्ड उपलब्ध है)

   ग) नामित व्यक्ति की जानकारी (एनईएफटी के विवरण सहित) ।

*यदि दावे के मूल दस्तावेज किसी अन्य बीमा कंपनी को पेश किए हो, तो रूपे कार्ड जारी करने वाले बैंक के प्रबंधक द्वारा यथोचित हस्ताक्षरित की गई प्रमाणित प्रति भी पेश कर सकते हैं ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

व्यक्तिगत दुर्घटना

प्रश्न 1 : दुर्घटना क्या है ?

उत्तर : दुर्घटना अर्थात् अचानक, आकस्मिक, अनपेक्षित तथा अनैच्छिक हादसा कि जो बाहरी, दृश्य तथा हिंसापूर्ण माध्यम से होता है ।

प्रश्न 2 : इस पॉलिसी के तहत कौन-से लाभ देय हैं ?

उत्तर : आप सभी प्रकार की दुर्घटना से होने वाली चोट के खिलाफ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा द्वारा स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं । यह पॉलिसी आपको दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता के लिए लाभ देती है ।

प्रश्न 3 : क्या व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में कुदरती मृत्यु, आत्महत्या या किसी बीमारी / व्याधि / गर्भावस्था से होने वाली मृत्यु भी शामिल है ?

उत्तर : नहीं, व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या आकस्मिक चोट जो जानबूझकर या खुद को दण्ड देने के लिए न की गई हो, वही शामिल है ।

प्रश्न 4 : इस योजना के तहत बीमा राशि कितनी है ?

उत्तर : नॉन-प्रीमियम कार्डधारक के लिए रू. 1 लाख की बीमा सुरक्षा एवं प्रीमियम कार्डधारक के लिए रू. 2 लाख की बीमा राशि है ।

प्रश्न 5 : मेरे रूपे कार्ड में व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत बीमा सुरक्षा पाने के लिए कौन-से योग्यता मापदंड है ?

उत्तर : व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी (मृत्यु और स्थायी संपूर्ण विकलांगता) के तहत दावे का भुगतान केवल उस वक्त किया जाएगा जब कार्डधारकों ने बैंकांतरिक और अंतरबैंक में से किसी भी एक चैनल पर यथा हमारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (एटीएम / माईक्रो एटीएम / पीओएस / ई-कॉम / किसी स्थल

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

पर बैंक के प्रतिनिधि के पास किसी भी भुगतान लिखत के जरिए) निम्नानुसार कम से कम एक बार वित्तीय या गैरवित्तीय लेन-देन* सफलतापूर्वक किया हो ।

क) प्रतिनिधि कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 45 दिनों के अंदर ।

ख) गैर - प्रीमियम कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर ।

मृत्यु अथवा विकलांगता उत्पन्न करनेवाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु तथा स्थायी संपूर्ण विकलांगता) एक खुली पॉलिसी है ।

*लेन-देन के प्रकार का मतलब है कि ग्राहक द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत के द्वारा किये गये सभी लेन-देन चाहे वे हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो उसी बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) और / या अप्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो अन्य बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) ।

प्रश्न 6 : व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी प्राप्त करने हेतु क्या कोई आयु मर्यादा है ?

उत्तर : व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 साल से अधिक आयु के सभी रूपे कार्डधारकों के लिए बीमा योजना की शर्तें व नियमों की पूर्ति करने पर उपलब्ध है ।

प्रश्न 7 : क्या इस पॉलिसी का आवरण पूरे विश्व में है ?

उत्तर : हाँ, यह दुर्घटना पॉलिसी, चाहे देश के बाहर ही दुर्घटना क्यों न हुई हो, तब भी आपको सुरक्षा प्रदान करती है । दावा राशि आवश्यक कागजात जमा करवाने पर बीमा राशि के अनुसार भारतीय चलन में अदा की जाएगी । इसमें कोई भी देश अस्वीकार नहीं किया गया है ।

प्रश्न 8 : इस योजना के कौन लाभार्थी हो सकते हैं ?

उत्तर : कार्डधारक द्वारा नामित व्यक्ति या न्यायालय के आदेश के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी लाभार्थी हो सकते हैं ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

प्रश्न 9 : यदि एक से अधिक उत्तराधिकारी / लाभार्थी हों तो ऐसे मामलों में लाभार्थी कौन हो सकता है ?

उत्तर : एक से अधिक लाभार्थी होने पर जिस वारिस का नाम विधिपूर्वक उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र में दिया गया हो उसी वैधानिक वारिस के पक्ष में दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

यदि कानूनी उत्तराधिकारी दावे पर अपना अधिकार न जमाना चाहे (अर्थात् कानूनी उत्तराधिकारी दावा राशि न लेना चाहे) तो हमें उनसे एनओसी की आवश्यकता होगी ताकि दावा किसी अन्य नामित लाभार्थी के पक्ष में अदा किया जा सके ।

प्रश्न 10 : मैं कैसे दावा कर सकता / सकती हूँ ?

उत्तर : परीक्षण सूची में बताए गए सारे कागजात पेश कीजिए और उस बैंक / बैंक की शाखा में दीजिए जहाँ पर आपका बैंक खाता हो ।

प्रश्न 11 : दावा करते वक्त मुझे किससे संपर्क करना होगा ?

उत्तर : कृपया अपनी बैंक / बैंक शाखा प्रबंधक से संपर्क करें जिनका कार्ड आपके पास है ।

प्रश्न 12 : यदि दावा करना हो तो उसके लिए कौन-से कागजात पेश करना आवश्यक है, जब दुर्घटना भारत या विदेश में घटी हो ?

उत्तर : दुर्घटना मृत्यु के दावे के लिए फॉर्म* :

1) दावा फॉर्म पूर्ण तरह से यथोचित भरा हुआ हो तथा हस्ताक्षरित हो ।

2) मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल या प्रमाणित प्रति ।

3) एफ आई आर, पंचनामा / तहकीकात पंचनामा मूल या प्रमाणित प्रति ।

4) कार्ड जारी करनेवाले बैंक द्वारा घोषणापत्र जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यथोचित हस्ताक्षरित हो और उस पर बैंक की मुहर लगाई हो :-

क) कार्डधारक के पास रूपे कार्ड है जो आई.आई.एन. पर जारी किया गया है और रूपे कार्ड का 16 अंकों का नंबर लिखिए ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

ख) 45 दिनों के इस्तेमाल के मापदंड लागू हैं । (जिसमें प्रणाली द्वारा व्यवहार का रिकॉर्ड उपलब्ध है)

ग) नामित व्यक्ति की जानकारी (एनईएफटी के विवरण के साथ) ।

*अधिक दस्तावेज मामले की जरूरत के मुताबिक माँगे जा सकते हैं जैसे कि वैद्यकीय रिपोर्ट, पोस्टमोर्टम रिपोर्ट इत्यादि ।

प्रश्न 13 : दावे का भुगतान कितने दिनों में किया जाएगा ?

उत्तर : दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड को पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 10 (दस) कार्यालयीन दिनों के अंदर दावा राशि का भुगतान किया जाएगा ।

प्रश्न 14 : मुझे कितने दिनों के अंदर दावा संबंधी सूचना देनी होगी ?

उत्तर : दुर्घटना के दिन के बाद दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड को अथवा बैंक को तत्काल इसकी सूचना दें । लेकिन दुर्घटना के बाद 90 दिनों के अंदर सूचना दें । यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ है (तथा उसकी हालत गंभीर हो) और वह दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर दावा पेश करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में यह मामला दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा तहकीकात करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाएगा, यदि संदर्भित पॉलिसी के सभी नियम व शर्तें दुर्घटना के दिन सुसंगत हों ।

प्रश्न 15 : मुझे दावे से संबंधित कागजात कितने दिनों में भेजने होंगे ?

उत्तर : दावे की सूचना के 60 दिनों के अंदर दावे के संबंधित सारे दस्तावेज भेजना अनिवार्य है ।

प्रश्न 16 : यदि किसी रूपे कार्डधारक की व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी किसी अन्य बीमा कंपनी के साथ हो तो क्या यह बीमा पॉलिसी अतिरिक्त बीमा सुरक्षा मानी जाएगी ?

उत्तर : जी हाँ, यह एक लाभदायी पॉलिसी है तथा कार्डधारक द्वारा अन्य कंपनी की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के साथ यह अतिरिक्त बीमा सुरक्षा है ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

प्रश्न 17 : यहाँ पर अपवर्जन का तात्पर्य क्या है ?

उत्तर : यहाँ पर अपवर्जन मतलब वह परिस्थितियाँ जहाँ दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड दुर्घटना होने पर भी बीमाकृत व्यक्ति को उसके लाभ का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी ।

प्रश्न 18 : कौन से अपवर्जन लागू होंगे ?

उत्तर : दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित परिस्थितियों में इस पॉलिसी के तहत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगी :

1. एक से अधिक पूर्वगामी उपनियमों के मुताबिक बीमाकृत व्यक्ति को समान अवधि में समान विकलांगता के लिए मुआवजा ।

2. जिस व्यक्ति को उपनियम / धारा (क), (ख) या (ग) के तहत दाखिल किया गया हो और उसे भुगतान देय हो तथा उसी व्यक्ति के उपलक्ष्य में एक बार दावे का भुगतान किया गया हो । तथापि यदि लागू होगा तो चिकित्सा व्यय तथा मृतदेह के वहन के किराए का भुगतान अतिरिक्त तौर पर किया जाएगा ।

   उपनियम (क) : यदि बीमाकृत व्यक्ति की, दुर्घटना से होने वाली चोट अगले 12 महीनों के अंदर उसकी मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष और एकल तौर पर कारणदेह होने पर ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के लिए लागू मूल बीमा राशि ।

   उपनियम (ख) : यदि बीमाकृत व्यक्ति को दुर्घटना से होने वाली चोट की वजह से 12 महीनों के अंदर निम्नानुसार स्थायी तथा संपूर्ण नुकसान हुआ हो :

   1एए. जैसे कि दोनों आँखों की रोशनी सदा के लिए चली जाए, या दोनों हाथ या पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हो जाएँ या कोई एक संपूर्ण हाथ तथा एक संपूर्ण पैर कट जाए या किसी एक आँख की रोशनी चली जाए या तथा एक हाथ या एक पैर पूरे अलग हो जाए, कट जाए तो ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि ।

   1एबी. दो हाथ या दो पैर का इस्तेमाल न कर पाना, कोई भी एक हाथ तथा एक पैर, या किसी एक आँख की रोशनी चली जाना तथा एक हाथ या एक पैर गँवाना, ऐसी स्थिति में ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

उपनियम (ग) : यदि बीमाकृत व्यक्ति को दुर्घटना से होने वाली चोट की वजह से 12 महीनों के अंदर निम्न स्थायी तथा संपूर्ण नुकसान हुआ हो :

1. एक आँख की रोशनी सदा के लिए चली जाना, या एक हाथ या एक पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हो जाना तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि का पचास प्रतिशत (50%) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगा ।

2. एक हाथ या एक पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हुए बिना निष्क्रिय हो जाए तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि का पचास प्रतिशत (50%) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगा ।

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुच्छेद (ख) और (ग) के संदर्भ में हाथ अलग होने का तात्पर्य है कि कलाई से या उसके ऊपर से हाथ अलग हो जाए या टखने से या उसके ऊपर से पैर अलग हो जाए ।

उपनियम (घ) : यदि ऐसी चोट जो प्रत्यक्ष तौर पर दुर्घटना से प्रभावी हो तथा ऐसी तत्काल स्थायी, संपूर्ण और एकल चोट से बीमाकृत व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करने में या किसी व्यवसाय या पेशे को कार्यरत रखने में असमर्थ हो जाए तो बीमा अनुसूची में दर्शाई गई मूल बीमा राशि का सौ प्रतिशत (100%) एकमुश्त में बीमाकृत व्यक्ति को लागू होगा ।

3. ऐसे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत किसी एक बीमा अवधि के दौरान एक से अधिक दावा करने पर पॉलिसी की अनुसूची में निर्दिष्ट कंपनी की अधिकतम देयता की राशि से देय राशि अधिक हो जाती हो जो ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के संदर्भ में इस पॉलिसी के उपनियम (क) में निर्दिष्ट राशि से अधिक हो । तथापि, चिकित्सा खर्च तथा मृतदेह के वहन के किराए का भुगतान लागू होने पर अतिरिक्त तौर पर दिया जाएगा ।

   उपनियम (क) : यदि बीमाकृत व्यक्ति की, दुर्घटना से होने वाली चोट की तिथि से 12 महीनों के अंदर मृत्यु हो जाती है जिसके लिए प्रत्यक्ष और एकल तौर पर दुर्घटना कारणदेह होने पर पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगी ।

4. जब तक मुआवजे की राशि निर्धारित और संमत नहीं की जाए तब तक साप्ताहिक मुआवजा ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

5. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता यदि निम्न कारणों से हो :

   क) जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या या आत्महत्या करने की कोशिश ।

   ख) नशीले / मादक पदार्थ - शराब या ड्रग के प्रभाव में रहना ।

   ग) हवाईजहाज उड़ाना या बलून में उड़ना, हवाईजहाज या बलून में प्रवेश करते समय या उतरते समय या दुनिया के किसी भी मानक स्तरवाले विधिवत् लाइसेंसीकृत हवाईजहाज या बलून में यात्री के अलावा सफर करना (भाड़ा दिया हो या अन्यथा) ।

   घ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर होने वाले यौन रोग, एड्स या पागलपन ।

   च) जहाँ पर बीमाकृत व्यक्ति आपराधिक इरादे से किसी कानून या नियम का उल्लंघन करे (प्रमाणित हवाईजहाज मतलब ऐसा हवाईजहाज जो यात्रियों की यातायात के लिए लाईसेंसीकृत हो) जो कि यथोचित प्राधिकृत हो फिर चाहे हवाईजहाज किसी का निजी हो या किसी के स्वामित्व में हो या नियमित एयरलाइन का हो या फिर चाहे यह हवाईजहाज एक या अधिक इंजन का हो (किराए पर लिया हो या अन्यथा) ।

6. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निम्नलिखित घटना से जुड़ी हुई हो : युद्ध, हमला, विदेशी आक्रमण, युद्धस्थिति (चाहे युद्ध घोषित हुआ हो या न हुआ हो), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, घुसपैठ, बगावत, सेनाद्वारा या किसी अन्य द्वारा अन्यायपूर्वक सत्ता का ग्रहण, पकड़, गिरफ्तारी, अंकुश, सभी राजा, युवराज या जो भी किसी देश के सामर्थ्यशाली लोग हो उनका कारावास ।

7. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या बीमारी या व्याधि की वजह से मृत्यु होनेपर मुआवजे का भुगतान -

   1एए. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आयनिक विकिरणपात से दृश्य हो या वह सहायक हो या आणविक इंधन की रेडियोधर्मिता से संदूषण से हुआ हो या आणविक इंधन के ज्वलन से पैदा होने वाले आणविक कचरे से हुआ हो । इस अपवर्जन के प्रयोजन के संदर्भ में विखंडन की स्वयं-चालित प्रक्रिया भी शामिल है ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

1एबी. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आणविक हथियार या पदार्थ की वजह से दृश्य हो या वह सहायक हो ।

बशर्ते यह भी कि इस पॉलिसी की विधि तथा शर्तें व नियमों का पूर्णत: पालन किया जा रहा हो (यहाँ पर निर्दिष्ट पॉलिसी के सारे पृष्ठांकन तथा नियमों को पॉलिसी का हिस्सा माना जएगा) जिसमें बीमाकृत से जो भी कुछ संबंधित हो और/अथवा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इस पॉलिसी के तहत कंपनी की जिम्मेदारी आरंभ होने से पहले जो भी किया जाना अपेक्षित हो वह किया जा रहा हो ।

8. <u>गर्भावस्था अपवर्जन क्लॉज</u> इस पॉलिसी के बीमा में गर्भधारणा, गर्भावस्था, विलंबित / दीर्घकालीन प्रसव आदि से होने वाली मृत्यु या विकलांगता से उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर योगदान होने पर होनेवाली मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती ।

प्रश्न 19 : यदि रूपे कार्ड के जारी करने के 45/90 दिनों की सीमारेखा में कोई दुर्घटना होने पर, बीमा का लाभ पाने योग्य पात्र बनने हेतु 45/90 दिनों में व्यवहार करने का मापदंड स्वीकारने का अवसर ना मिला हो तो क्या फिर भी बीमा सुरक्षा मान्य है ?

उत्तर : जी हाँ, अपवादात्मक परिस्थितियों में ऐसे मामलों में बीमा सुरक्षा मान्य है और दावे की सूचना दे सकते हैं जो प्रीमियम कार्डधारकों और गैर-प्रीमियम कार्डधारकों के लिए क्रमश: लागू है ।

प्रश्न 20 : जैसे कि बीमा सुरक्षा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावशाली है, लेकिन यदि 15 अप्रैल 2016 के दिन दुर्घटना होती है और पॉलिसी की अवधि के पूर्व लेन-देन किया गया हो तो बीमा सुरक्षा मान्य है ?

उत्तर : जी हाँ, जब तक दुर्घटना पॉलिसी के अवधि में घटी हो तब तक बीमा सुरक्षा मान्य है ।

प्रश्न 21 : कितने कार्ड के लिए मैं बीमा सुरक्षा के मुआवजे के लिए पात्र हूँ ?

उत्तर : यह बीमा पॉलिसी प्रति ग्राहक या प्रति कार्डधारक केवल एक रूपे कार्ड के मुआवजे के लिए ही लागू है चाहे ग्राहक ने पात्रता के मापदंड में खरे उतरने वाले उसी / अन्य बैंकों के कार्ड या अधिक कार्ड लिए हो लेकिन कौनसे कार्ड पर दावा करना है यह ग्राहक पर निर्भर है ।

टिप्पणी : कृपया अधिक जानकारी के लिए, बैंक की वेबसाईट/संकेत स्थल के लिंक पर उपलब्ध पॉलिसी प्रलेख पढ़ें ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

स्थायी संपूर्ण विकलांगता

प्रश्न 1 : स्थायी संपूर्ण विकलांगता क्या है ?

उत्तर : स्थायी संपूर्ण विकलांगता अर्थात् दुर्घटना की वजह से शरीर के किसी हिस्से का इस्तेमाल करने की क्षमता स्थायी रुप से खोना । यह बीमा सुरक्षा निम्नलिखित प्रश्न 3 में दी गई सारिणी तक सीमित है ।

प्रश्न 2 : इस पॉलिसी के अंतर्गत कौन-से लाभ देय हैं ?

उत्तर : यह पॉलिसी दुर्घटना की वजह से होने वाली किसी भी प्रकार की स्थायी संपूर्ण विकलांगता के लिए राशि देती है ।

प्रश्न 3 : दुर्घटना भारत में या विदेश में हुई हो तो स्थायी संपूर्ण विकलांगता में क्या आवरण दिए जाते हैं ?

उत्तर : दुर्घटना की वजह से होने वाली स्थायी संपूर्ण विकलांगता में निम्नलिखित के अनुसार बीमा सुरक्षा दी जाती है ।

विकलांगता	कुल बीमा राशि के प्रतिशत (%) में निर्दिष्ट मुआवजा
1. स्थायी संपूर्ण विकलांगता	100%
2. स्थायी और असाध्य पागलपन	100%
3. दो अंगों की संपूर्ण हानि	100%
4. दो आँखों की रोशनी स्थायी एवं पूर्ण रुप से चली जाना	100%
5. एक अवयव और एक आँख स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	100%
6. स्थायी और पूर्ण तौर पर वाणी गँवाना	100%
7. नीचला जबड़ा पूरा बाहर निकल जाना	100%
8. चबाने की क्षमता पूरी तरह से गँवाना	100%

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

9. मुख्य केन्द्रीय ज्ञानतंत्र या सीना या औदरिक/उदर संबंधी अवयव का पूर्ण तथा स्थायी नुकसान होने पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए तथा पूर्णकालीन सहायता के बिना जीवन की जरुरी गतिविधियाँ करने में असमर्थ हो जाए ।	100%
10. दोनों कानों की श्रवणशक्ति स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	75%
11. एक अंग स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	50%
12. एक आँख की रोशनी स्थायी एवं पूर्ण रुप से चली जाना	50%
13. एक कान की श्रवणशक्ति स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	15%
14. एक आँख का लेन्स स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	25%
15. चारों उंगलियों का इस्तेमाल करने में अक्षम और किसी एक हाथ का अंगूठा गँवाना	40%
16. किसी एक हाथ की चारों उंगलियों का इस्तेमाल करने में अक्षम	20%
17. दोनों में से किसी एक हाथ का अंगूठा गँवाना	
(क) दोनों अस्थि जोड़	20%
(ख) एक अस्थि जोड़	10%
18. दोनों में से किसी एक हाथ की एक उंगली संपूर्ण रुप से गँवाना	
(क) तिनों अस्थि जोड़	5%
(ख) दोनों अस्थि जोड़	2.5%
(ग) एक अस्थि जोड़	2%

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

19. पैरों के अंगूठे स्थायी तौर पर गँवाना	
(क) संपूर्ण एक पैर	15%
(ख) दोनों बड़े जोड़	5%
(ग) एक बड़ा जोड़	2%
(घ) दोनों अंगूठे (बड़े जोड़ के अलावा प्रत्येक जोड़)	2%
20. पैर में फ्रैक्चर या घुटने के उपर की हड्डी (नी-कॅप) अलग हो जाना	10%
21. पैर की लंबाई कम से कम 5 सेमी कम हो जाना	7.50%
22. कोहनी, कमर या घुटने में संधिग्रह होना	20%

प्रश्न 4 : इस पॉलिसी के अंतर्गत कितनी बीमा सुरक्षा राशि उपलब्ध है ?

उत्तर : गैर-प्रीमियम कार्ड पर रू. 1 लाख की बीमा सुरक्षा एवं प्रीमियम कार्ड पर रू. 2 लाख की बीमा राशि है ।

प्रश्न 5 : मेरे रूपे डेबिट कार्ड में व्यक्तिगत संपूर्ण स्थायी सकल विकलांगता बीमा सुरक्षा पाने के लिए कौन-से मापदंड है ?

उत्तर : स्थायी संपूर्ण विकलांगता के तहत दावे का भुगतान केवल उस वक्त किया जाएगा जब कार्डधारकों ने बैंकांतरिक और अंतरबैंक में से किसी भी एक चैनल पर यथा हमारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (एटीएम / माईक्रो एटीएम / पीओएस / ई-कॉम / किसी स्थल पर बैंक के प्रतिनिधि के पास किसी भी भुगतान लिखत के जरिए) निम्नानुसार कम से कम एक बार वित्तीय या गैरवित्तीय लेन-देन* सफलतापूर्वक किया हो ।

क) प्रतिनिधि कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 45 दिनों के अंदर ।

ख) गैर - प्रीमियम कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

मृत्यु अथवा विकलांगता उत्पन्न करनेवाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु तथा स्थायी संपूर्ण विकलांगता) एक खुली पॉलिसी है ।

*लेन-देन के प्रकार का मतलब है कि ग्राहक द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत के द्वारा किये गये सभी लेन-देन चाहे वे हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो उसी बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) और / या अप्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो अन्य बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) ।

प्रश्न 6 : स्थायी सकल विकलांगता पॉलिसी का चयन करने के लिए क्या कोई आयुमर्यादा है ?

उत्तर : व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी 5 साल से अधिक आयु के सभी रूपे कार्डधारकों के लिए बीमा योजना की शर्तें व नियमों की पूर्ति करने पर उपलब्ध है ।

प्रश्न 7 : यह पॉलिसी क्या पूरे विश्व में बीमा सुरक्षा प्रदान करती है ?

उत्तर : जी हाँ, यह दुर्घटना पॉलिसी, चाहे देश के बाहर ही दुर्घटना क्यों न हुई हो, तब भी आपको सुरक्षा प्रदान करती है । दावा राशि आवश्यक कागजात जमा करवाने पर बीमा राशि के अनुसार भारतीय चलन में अदा की जाएगी । यहाँ पर प्रतिकूल देश की सूची नहीं दी गई है ।

प्रश्न 8 : इस पॉलिसी के कौन लाभार्थी हो सकते हैं ?

उत्तर : इस पॉलिसी में बीमाकृत व्यक्ति इसके लाभार्थी होंगे ।

प्रश्न 9 : दावा करते समय कौन से कागजात पेश करने होंगे ?

उत्तर : स्थायी संपूर्ण विकलांगता दावे के लिए फॉर्म :

1. दावा फॉर्म पूर्ण तरह से यथोचित भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित हो ।
2. रिहाई कार्ड जिसमें मामले की जानकारी की पुष्टि और अवधि तथा संबंधित / इलाज करने वाले चिकित्सक / शल्य चिकित्सक द्वारा विकलांगता का प्रमाण, प्रतिशत के साथ हस्ताक्षरित किया गया हो ।
3. सभी अन्वेषण रिपोर्ट की मूल प्रति** जहाँ पर दुर्घटना से संबंधित जाँच हुई हो ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

4. कार्ड जारी करने वाली बैंक द्वारा घोषणापत्र जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यथोचित हस्ताक्षरित हो और उस पर बैंक की मुहर लगाई हो :-

   क) कार्डधारक के पास रूपे कार्ड है जो आई.आई.एन. पर जारी किया गया है और रूपे कार्ड का 16 अंकों का नंबर लिखिए ।

   ख) 45 दिनों के इस्तेमाल के मापदंड पर खरा उतरता है । (जिसमें प्रणाली द्वारा व्यवहार का रिकॉर्ड उपलब्ध है)

   ग) लाभार्थी व्यक्ति की जानकारी (एनईएफटी के विवरण सहित) ।

5. हानि की योग्यता के अनुसार यदि अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता हो तो उन्हें प्रस्तुत किया जाए ।

**यदि दावे से संबंधित कागजातों की मूल प्रति किसी अन्य साधारण बीमा कंपनी को दी हो, तो रूपे कार्ड जारी करनेवाले बैंक के प्रबंधक द्वारा यथोचित हस्ताक्षर की गई प्रमाणित प्रति भी पेश कर सकते हैं । उस पर बैंक की मुहर लगाई होनी चाहिए ।

प्रश्न 10 : दावे का भुगतान कितने दिनों में किया जाएगा ?

उत्तर : दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड को पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 10 (दस) कार्यालयीन दिनों के अंदर दावा राशि का भुगतान किया जाएगा ।

प्रश्न 11 : दावा करने हेतु मुझे किससे संपर्क करना होगा ?

उत्तर : कृपया दावा करने हेतु अपने बैंक / बैंक की शाखा में संपर्क कीजिए जहाँ से आपने कार्ड प्राप्त किया है ।

प्रश्न 12 : मैं दावा कैसे कर सकता / सकती हूँ ?

उत्तर : चेकसूची में दर्शाए गए के अनुसार सभी कागजात पूर्ण कीजिए और बैंक / बैंक शाखा में दीजिए जहाँ पर आपका खाता हो ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

प्रश्न 13 : मुझे कितने दिनों के अंदर दावे की सूचना करनी होगी ?

उत्तर : कृपया दुर्घटना के दिन से 90 दिनों के भीतर सूचना दें । यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ है (तथा उसकी परिस्थिति गंभीर है) और वह दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर दावा सूचित करने की हालत में न हो तो ऐसी परिस्थिति में यह मामला दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड तहकीकात करने हेतु स्वीकृत करेगी और यदि संदर्भित पॉलिसी के अंतर्गत सभी नियम व शर्तें दुर्घटना के दिन से सुसंगत हो तो उसे स्वीकार करेगी ।

प्रश्न 14 : कितने दिनों में दावे के कागजात भेज सकता / सकती हूँ ?

उत्तर : दावे की सूचना के 60 दिनों के अंदर सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

प्रश्न 15 : क्या मैं, मेरी विद्यमान स्थायी संपूर्ण विकलांगता के लिए दूसरी बीमा कंपनी के बीमा आवरण से अतिरिक्त आवरण का दावा कर सकता / सकती हूँ ?

उत्तर : जी हाँ, यह कार्डधारक द्वारा किसी अन्य कंपनी के मौजूदा बीमा कवर के ऊपर अतिरिक्त कवर है ।

प्रश्न 16 : दुर्घटना चोट के मामले में क्या मुझे कैश लेस सुविधा उपलब्ध है ?

उत्तर : यह मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के लिए कैश लेस सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न 17 : यहाँ पर अपवर्जन का तात्पर्य क्या है ?

उत्तर : यहाँ पर अपवर्जन का मतलब है वैसी परिस्थितियाँ जहाँ दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड दुर्घटना होने पर भी बीमाकृत व्यक्ति को उसके लाभ का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है ।

प्रश्न 18 : कौन-कोन से अपवर्जन लागू हैं ?

उत्तर : दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित परिस्थितियों में इस पॉलिसी के तहत भुगतान करने हेतु जवाबदेह नहीं है ।

1. एक से अधिक पूर्वगामी उपनियमों के मुताबिक बीमाकृत व्यक्ति को समान अवधि में समान विकलांगता के लिए मुआवजा ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

2. जिस व्यक्ति को उपनियम / धारा (क), (ख) या (ग) के तहत दाखिल किया गया हो और उसे भुगतान देय हो तथा उसी व्यक्ति के उपलक्ष्य में एक बार दावे का भुगतान किया गया हो । तथापि यदि लागू होगा तो चिकित्सा व्यय तथा मृतदेह के वहन के किराए का भुगतान अतिरिक्त तौर पर किया जाएगा ।

उपनियम (क) : यदि बीमाकृत व्यक्ति की, दुर्घटना से होने वाली चोट अगले 12 महीनों के अंदर उसकी मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष और एकल तौर पर कारणदेह होने पर ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के लिए लागू मूल बीमा राशि ।

उपनियम (ख) : यदि बीमाकृत व्यक्ति को दुर्घटना से होने वाली चोट की वजह से 12 महीनों के अंदर निम्नानुसार स्थायी तथा संपूर्ण नुकसान हुआ हो :

1एए. जैसे कि दोनों आँखों की रोशनी सदा के लिए चली जाए, या दोनों हाथ या पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हो जाएँ या कोई एक संपूर्ण हाथ तथा एक संपूर्ण पैर कट जाए या किसी एक आँख की रोशनी चली जाए या तथा एक हाथ या एक पैर पूरे अलग हो जाए, कट जाए तो ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि ।

1एबी. दो हाथ या दो पैर का इस्तेमाल न कर पाना, कोई भी एक हाथ तथा एक पैर, या किसी एक आँख की रोशनी चली जाना तथा एक हाथ या एक पैर गँवाना, ऐसी स्थिति में ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि ।

उपनियम (ग) : यदि बीमाकृत व्यक्ति को दुर्घटना से होने वाली चोट की वजह से 12 महीनों के अंदर निम्न स्थायी तथा संपूर्ण नुकसान हुआ हो :

1. एक आँख की रोशनी सदा के लिए चली जाना, या एक हाथ या एक पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हो जाना तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि का पचास प्रतिशत (50%) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगा ।

2. एक हाथ या एक पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हुए बिना निष्क्रिय हो जाए तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि का पचास प्रतिशत (50%) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगा ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुच्छेद (ख) और (ग) के संदर्भ में हाथ अलग होने का तात्पर्य है कि कलाई से या उसके ऊपर से हाथ अलग हो जाए या टखने से या उसके ऊपर से पैर अलग हो जाए ।

उपनियम (घ) : यदि ऐसी चोट जो प्रत्यक्ष तौर पर दुर्घटना से प्रभावी हो तथा ऐसी तत्काल स्थायी, संपूर्ण और एकल चोट से बीमाकृत व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करने में या किसी व्यवसाय या पेशे को कार्यरत रखने में असमर्थ हो जाए तो बीमा अनुसूची में दर्शाई गई मूल बीमा राशि का सौ प्रतिशत (100%) एकमुश्त में बीमाकृत व्यक्ति को लागू होगा ।

3. ऐसे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत किसी एक बीमा अवधि के दौरान एक से अधिक दावा करने पर पॉलिसी की अनुसूची में निर्दिष्ट कंपनी की अधिकतम देयता की राशि से देय राशि अधिक हो जाती हो जो ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के संदर्भ में इस पॉलिसी के उपनियम (क) में निर्दिष्ट राशि से अधिक हो । तथापि, चिकित्सा खर्च तथा मृतदेह के वहन के किराए का भुगतान लागू होने पर अतिरिक्त तौर पर दिया जाएगा ।

   उपनियम (क) : यदि बीमाकृत व्यक्ति की, दुर्घटना से होने वाली चोट की तिथि से 12 महीनों के अंदर मृत्यु हो जाती है जिसके लिए प्रत्यक्ष और एकल तौर पर दुर्घटना कारणदेह होने पर पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा राशि ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगी ।

4. जब तक मुआवजे की राशि निर्धारित और संमत नहीं की जाए तब तक साप्ताहिक मुआवजा ।

5. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता यदि निम्न कारणों से हो :

   क) जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या या आत्महत्या करने की कोशिश ।

   ख) नशीले / मादक पदार्थ - शराब या ड्रग के प्रभाव में रहना ।

   ग) हवाईजहाज उड़ाना या बलून में उड़ना, हवाईजहाज या बलून में प्रवेश करते समय या उतरते समय या दुनिया के किसी भी मानक स्तरवाले विधिवत् लाइसेंसीकृत हवाईजहाज या बलून में यात्री के अलावा सफर करना (भाड़ा दिया हो या अन्यथा) ।

   घ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर होने वाले यौन रोग, एड्स या पागलपन ।

   च) जहाँ पर बीमाकृत व्यक्ति आपराधिक इरादे से किसी कानून या नियम का उल्लंघन करे

(प्रमाणित हवाईजहाज मतलब ऐसा हवाईजहाज जो यात्रियों की यातायात के लिए लाईसेंसीकृत हो) जो कि यथोचित प्राधिकृत हो फिर चाहे हवाईजहाज किसी का निजी हो या किसी के स्वामित्व में हो या नियमित एयरलाइन का हो या फिर चाहे यह हवाईजहाज एक या अधिक इंजन का हो (किराए पर लिया हो या अन्यथा) ।

6. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निम्नलिखित घटना से जुड़ी हुई हो : युद्ध, हमला, विदेशी आक्रमण, युद्धस्थिति (चाहे युद्ध घोषित हुआ हो या न हुआ हो), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, घुसपैठ, बगावत, सेनाद्वारा या किसी अन्य द्वारा अन्यायपूर्वक सत्ता का ग्रहण, पकड़, गिरफ्तारी, अंकुश, सभी राजा, युवराज या जो भी किसी देश के सामर्थ्यशाली लोग हो उनका कारावास ।

7. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या बीमारी या व्याधि की वजह से मृत्यु होनेपर मुआवजे का भुगतान -

   1एए. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आयनिक विकिरणपात से दृश्य हो या वह सहायक हो या आणविक इंधन की रेडियोधर्मिता से संदूषण से हुआ हो या आणविक इंधन के ज्वलन से पैदा होने वाले आणविक कचरे से हुआ हो । इस अपवर्जन के प्रयोजन के संदर्भ में विखंडन की स्वयं-चालित प्रक्रिया भी शामिल है ।

   1एबी. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आणविक हथियार या पदार्थ की वजह से दृश्य हो या वह सहायक हो ।

   बशर्ते यह भी कि इस पॉलिसी की विधि तथा शर्तें व नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा हो (यहाँ पर निर्दिष्ट पॉलिसी के सारे पृष्ठांकन तथा नियमों को पॉलिसी का हिस्सा माना जएगा) जिसमें बीमाकृत से जो भी कुछ संबंधित हो और/अथवा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इस पॉलिसी के तहत कंपनी की जिम्मेदारी आरंभ होने से पहले जो भी किया जाना अपेक्षित हो वह किया रहा हो ।

8. <u>गर्भावस्था अपवर्जन क्लॉज</u> इस पॉलिसी के बीमा में गर्भधारणा, गर्भावस्था, विलंबित / दीर्घकालीन प्रसव आदि से होने वाली मृत्यु या विकलांगता से उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर योगदान होने पर होनेवाली मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

प्रश्न 19 : क्या बीमा में अंतरिम राहत के लिए प्रावधान है ?

उत्तर : जब तक दावा देय होने के पात्र है यह योग्यता साबित न हो, तब तक अंतरिम राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

प्रश्न 20 : यदि रूपे कार्ड को जारी करने के 0-45/90 दिनों की सीमारेखा पर कोई दुर्घटना होती है और बीमा का लाभ पाने योग्य पात्र बनने के लिए 45/90 दिनों में व्यवहार करने का अवसर ना मिला हो तो क्या फिर भी बीमा सुरक्षा मान्य है ?

उत्तर : जी हाँ, अपवादरूप परिस्थितियों में ऐसे मामलों में बीमा सुरक्षा मान्य है और दावे की सूचना प्रीमियम कार्डधारक तथा गैर-प्रीमियम कार्डधारक अपनी-अपनी पात्रतानुसार दे सकते हैं ।

प्रश्न 21 : जैसे कि बीमा सुरक्षा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावशाली है, लेकिन यदि 15 अप्रैल 2016 के दिन दुर्घटना होती है और पॉलिसी की अवधि के पूर्व व्यवहार किया गया हो तो क्या बीमा सुरक्षा मान्य है ?

उत्तर : जी हाँ, जब दुर्घटना पॉलिसी की अवधि में घटी है तब तक बीमा सुरक्षा मान्य है ।

प्रश्न 22 : कितने कार्ड के मुआवजे के लिए मैं पात्र हूँ ?

उत्तर : यह बीमा पॉलिसी केवल प्रति ग्राहक या प्रति कार्डधारक केवल एक रूपे कार्ड के संदर्भ में मुआवजे के लिए ही लागू है । ग्राहक ने यदि पात्रता के मापदंड में खरे उतरनेवाले अन्य बैंकों के कार्ड या अधिक कार्ड लिए हो तो फिर दावे के लिए कार्ड का चयन ग्राहक पर निर्भर है ।

टिप्पणी : कृपया अधिक जानकारी के लिए, बैंक की वेबसाईट/संकेत स्थल के लिंक पर उपलब्ध पॉलिसी शब्दावली प्रलेख पढ़िए ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय :

बान्द्रा मंडल कार्यालय - 142300

सी - 6, एनसीएल बिजनेस परिसर, पहली मंजिल, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 050.

संपर्क क्रमांक : (022) 26591702 (सीधा) / 26590156

रूपे कार्डधारक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा फॉर्म

इस फॉर्म के जारी किए जाने को किसी दायित्व की स्वीकृति नहीं माना जाए ।

पॉलिसी क्रमांक	
दावा क्रमांक	
रूपे कार्ड का प्रकार	
जारी करने एवं अंतिम स्वाइप करने की तारीख	
रूपे कार्डधारक का नाम	
बैंक खाता क्रमांक	
रूपे कार्ड क्रमांक	
नाम नामिति (दावेदार)	
नामिति / दावेदार का पता और संपर्क क्रमांक	
दुर्घटना की तारीख और समय	
दुर्घटना का स्थान (जिले तथा पिनकोड के साथ)	
दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन (अंग्रेजी / हिन्दी में लिखना अनिवार्य)	
दावे का स्वरुप	मृत्यु / विकलांगता
क्या इसी व्यक्ति के पास अन्य कोई रूपे कार्ड है ?	हाँ / नहीं यदि हाँ, तो विवरण दीजिए ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मैंने खुद दिया है और वह सारे पहलुओं से सही है और मैंने कंपनी से कोई भी ऐसी जानकारी छिपाने का प्रयास नहीं किया है कि जिससे मैं शायद वाकिफ हूँ और मैं जरूरत से ज्यादा समय के लिए अपने सामान्य व्यवसाय कार्य पर अनुपस्थित नहीं रहा हूँ । मैं संमत हूँ कि यदि मैंने कुछ घोषित किया है या कंपनी को किसी वक्तव्य की जरुरत होने पर मैं जो जानकारी दूँगा यदि कोई गलत वक्तव्य या कपटपूर्ण विधान किया गया है, कुछ छिपाया गया है, गोपनीय रखा गया है, झूठा कथन किया गया है तो बीमा योजना निष्प्रभावी हो जाएगी तथा मेरा मुआवजे का अधिकार चला जाएगा और मैं जस्टिस ऑफ पीस के समक्ष उपर्युक्त कथनों की या किसी अन्य कथनों की सत्यता के बारे में या मेरे द्वारा इस दावे के संबंध में किए गए वक्तव्य के बारे में स्वेच्छापूर्वक यह वैधानिक घोषणा करने की जरूरत होने पर मैं स्वेच्छापूर्वक स्वीकृति देता हूँ ।

कार्ड जारीकर्ता बैंक का नाम	बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
बैंक के हस्ताक्षर एवं मुहर	दावेदार का मोबाइल क्रमांक
	गवाह का प्रमाणपत्र

(दुर्घटना के चश्मदीद गवाह यदि हों तो, के द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए)

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि जब श्रीमान / श्रीमती ..... का दुर्घटना तारीख ..... 20..... के दिन पीड़ित द्वारा पूर्वपृष्ठ के मुताबिक ब्यौरा दिया है वैसे ही हुआ है और वह ..... के कारण हुआ तथा *वह उसने जानबूझकर किया/नहीं किया है और *वह उस वक्त शराब के प्रभाव में था / नहीं था ।

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

हस्ताक्षर और तारीख	
गवाह का नाम	
पता	
व्यवसाय	

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

केवल विकलांगता के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र

बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अपने खर्च पर चिकित्सा सबूत के साथ दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

- बीमाकृत व्यक्ति का नाम (दावेदार)	:
- लिंग	: (पुरुष / महिला)
- दुर्घटना का प्रकार	:
- क्या दिखाई देनेवाली चोट दुर्घटना के ब्यौरे से संगत है ?	:
- तारीख जिस दिन आपने दावेदार से पहली बार संपर्क किया हो	:
- क्या दावेदार अंशतः या पूर्ण रूप से विकलांग है ?	:
- क्या दावेदार चोट के सिवा अन्य बीमारी या व्याधि से पीड़ित है ?	:
- क्या दावेदार किसी ऐसी बीमारी या व्याधि से ग्रासित है जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य के सुधार में विलम्ब हो सकता है ? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें ।	:
- परिशिष्ट में निर्दिष्ट परिभाषित विकलांगता का प्रकार	:

मैंने उपर्युक्त दावेदार की निजी तौर पर जाँच की है । मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विधान सही है तथा बीमाकृत व्यक्ति को दुर्घटना से ..... संदर्भ के मुताबिक ..... प्रतिशत विकलांगता हुई है ।

हस्ताक्षर .....

नाम और अर्हताएँ .....

तारीख .....

पता .....

.....

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

परिशिष्ट

विकलांगता	कुल बीमा राशि के प्रतिशत (%) में निर्दिष्ट मुआवजा
1. स्थायी संपूर्ण विकलांगता	100%
2. स्थायी और असाध्य पागलपन	100%
3. दो अंगों की संपूर्ण हानि	100%
4. दो आँखों की रोशनी स्थायी एवं पूर्ण रुप से चली जाना	100%
5. एक अवयव और एक आँख स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	100%
6. स्थायी और पूर्ण तौर पर वाणी गँवाना	100%
7. नीचला जबड़ा पूरा बाहर निकल जाना	100%
8. चबाने की क्षमता पूरी तरह से गँवाना	100%
9. मुख्य केन्द्रीय ज्ञानतंत्र या सीना या औदरिक/उदर संबंधी अवयव का पूर्ण तथा स्थायी नुकसान होने पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए तथा पूर्णकालीन सहायता के बिना जीवन की जरुरी गतिविधियाँ करने में असमर्थ हो जाए ।	100%
10. दोनों कानों की श्रवणशक्ति स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	75%
11. एक अंग स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	50%
12. एक आँख की रोशनी स्थायी एवं पूर्ण रुप से चली जाना	50%
13. एक कान की श्रवणशक्ति स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	15%
14. एक आँख का लेन्स स्थायी एवं पूर्ण रुप से गँवाना	25%

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

15. चारों उंगलियों का इस्तेमाल करने में अक्षम और किसी एक हाथ का अंगूठा गँवाना	40%
16. किसी एक हाथ की चारों उंगलियों का इस्तेमाल करने में अक्षम	20%
17. दोनों में से किसी एक हाथ का अंगूठा गँवाना	
(क) दोनों अस्थि जोड़	20%
(ख) एक अस्थि जोड़	10%
18. दोनों में से किसी एक हाथ की एक उंगली संपूर्ण रुप से गँवाना	
(क) तीनों अस्थि जोड़	5%
(ख) दोनों अस्थि जोड़	3.5%
(ग) एक अस्थि जोड़	2%
19. पैरों के अंगूठे स्थायी तौर पर गँवाना	
(क) संपूर्ण एक पैर	15%
(ख) दोनों बड़े जोड़	5%
(ग) एक बड़ा जोड़	2%
(घ) दोनों अंगूठे (बड़े जोड़ के अलावा प्रत्येक जोड़)	2%
20. पैर में फ्रैक्चर या घुटने के उपर की हड्डी (नी-कॅप) अलग हो जाना	10%
21. पैर की लंबाई कम से कम 5 सेमी कम हो जाना	7.50%
22. कोहनी, कमर या घुटने में संधिग्रह होना	20%

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

सदस्य बैंक द्वारा घोषणा (बैंक के लेटर हेड पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्री.....को रूपे कार्ड क्र. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ बैंक रिकार्ड के अनुसार हमारे बैंक से जारी किया गया है । कार्डधारक के नामित व्यक्ति का विवरण, नामित व्यक्ति के एनईएफटी विवरण के साथ है तथा कार्डधारक द्वारा दुर्घटना के दिन के साथ दुर्घटना से 45/90 दिन पूर्व किया गया व्यवहार निम्नलिखित तौर पर दिया गया है जो गैर-प्रीमियम और प्रीमियम कार्डधारकों के लिए तद्नुसार लागू है ।

कार्डधारक का नाम :.....

रूपे कार्ड का प्रकार (गैर-प्रीमियम / प्रीमियम) :.....

नामित व्यक्ति का नाम* :.....

प्रस्तावक के साथ रिश्ता :.....

नामिति / लाभार्थी का बैंक खाता क्र. : .....

आईएफएससी कोड :.....

क्या कार्डधारक ने दुर्घटना के दिन सहित दुर्घटना के 45 दिन पूर्व किसी मर्चेंट संस्था / एटीएम / इ-कॉमर्स / माईक्रो एटीएम / किसी स्थल पर बैंक के प्रतिनिधि के साथ कम से कम एक बार वित्तीय या गैरवित्तीय व्यवहार सफलतापूर्वक किया है ? (हाँ / नहीं) .....

कृपया व्यवहार के सत्यापन के लिए स्विच लॉग / कोर बैंकिंग स्क्रीनशॉट प्रदान कीजिए तथा कार्ड क्रमांक / ग्राहक का नाम विशेष रूप से स्पष्ट दर्शाइए तथा बतौर परिशिष्ट संलग्न कीजिए (बैंक की मुहर तथा यथोचित हस्ताक्षरित)

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

शाखा का नाम :.....

शाखा का पता तथा संपर्क क्रमांक : .....

.....

संपर्क व्यक्ति : .....

संपर्क व्यक्ति का पता तथा दूरभाष क्रमांक :.....

.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी तथा बैंक की मुहर

***कृपया ध्यान में रखें -** यदि किसी कारण से नामित व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध न हो, तो लाभार्थी को न्यायालयीन आदेश के मुताबिक विधिपूर्वक उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उसके उपलक्ष्य में दस्तावेज दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड को देते वक्त संलग्न करने होंगे ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी

खंड - I - अनुसूची

पॉलिसी क्रमांक : - 14230042160100000005

1. पॉलिसीधारक का नाम और पता : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - रुपे कार्डधारक
13 वीं मंजिल, आर - टेक, दक्षिण विंग,
निरलॉन नॉलेज पार्क, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,
गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 400 063.

2. पॉलिसी अवधि : पॉलिसी प्रभावी तिथि : 00:00:00 बजे 01/04/2016
पॉलिसी समाप्ति तिथि : 11:59:59 बजे 31/03/2017

3. बीमा क्षेत्र : विश्वव्यापी

4. बीमाकृत व्यक्तियों के विवरण : 22,51,000 प्रीमियम रूपे कार्डधारक
25,62,97,000 गैर-प्रीमियम रूपे कार्डधारक

5. प्रति कार्ड प्रति वर्ष देय प्रीमियम

गैर - प्रीमियम कार्ड : रू. 0.50 + सेवा कर

प्रीमियम कार्ड : रू. 0.79 + सेवा कर

कुल प्रदत्त प्रीमियम : रू. 12,99,26,790/- + सेवा कर

6. प्रति व्यक्ति आवरित लाभ

लाभ	बीमाकृत व्यक्ति की श्रेणी	कुल बीमा राशि (रू.)
दुर्घटनात्मक मृत्यु	रूपे कार्डधारक (गैर-प्रीमियम कार्ड)	100,000
	रूपे कार्डधारक (प्रीमियम कार्ड)	200,000
स्थायी संपूर्ण विकलांगता	रूपे कार्डधारक (गैर-प्रीमियम कार्ड)	100,000
	रूपे कार्डधारक (प्रीमियम कार्ड)	200,000

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

सहमति के अनुसार विशेष शर्तें

(क) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो मृत्यु और स्थायी संपूर्ण विकलांगता के लिए है, वह उन सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से संबंधित मृत्यु या स्थायी संपूर्ण विकलांगता के लिए एक खुली पॉलिसी है ।

(ख) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु और स्थायी संपूर्ण विकलांगता) के अंतर्गत दावा तभी मिल सकता है जब कार्डधारकों ने बैंकांतरिक और अंतर - बैंक में से किसी भी एक चैनल पर यथा हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से (एटीएम / माइक्रो एटीएम / पीओ / ई-कॉम / बैंक की शाखा के कारोबार प्रतिनिधि के पास किसी भी भुगतान लिखत के जरिए) कम-से-कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन किया हो ।

- प्रीमियम कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 45 दिनों के अंदर ।
- गैर-प्रीमियम कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तिथि को जोड़कर, दुर्घटना तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर ।

नोट : लेन-देन के प्रकार का मतलब है कि ग्राहक द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत के द्वारा किये गये सभी लेन-देन चाहे वे हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो उसी बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) और/या अप्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो अन्य बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो)

किसी भी प्रकार की दुर्घटना से उत्पन्न मृत्यु या विकलांगता के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु और स्थायी संपूर्ण विकलांगता) एक खुली पॉलिसी है ।

(ग) यदि दुर्घटना की तिथि रूपे कार्ड जारी करने की तिथि से 90/45 दिनों के भीतर आती हो तो पॉलिसी कार्डधारक के पक्ष में कार्यरत हो जाएगी फिर चाहे कार्ड का इस्तेमाल करके कोई लेन-देन भी ना हुआ हो ।

(घ) हमारे साथ प्रत्यक्ष (ऑन अस) और अप्रत्यक्ष (ऑफ अस), वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन बीमा के लिए पात्र लेन-देन भी श्रेणी में गिने जायेंगे ।

(च) केवल सफल लेन-देन ही बीमा के लिए पात्र होंगे ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

(छ) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुला है जो कि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है ।

(ज) पॉलिसी एनपीसीआई को मास्टर पॉलिसी के रूप में जारी की जायेगी और वैयक्तिक पॉलिसी एनपीसीआई द्वारा सूचित किये गये अनुसार बैंकों को दी जायेगी ।

(झ) दावे की सूचना बैंक शाखा द्वारा या सीधे दावेदार द्वारा दी जा सकती है ।

(ट) दावे की सूचना दुर्घटना की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के अंदर दी जानी चाहिए । यदि व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया हो (और उसकी हालत गंभीर हो) और वह हानि/दुर्घटना के बाद 90 दिनों के अंदर दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो ऐसा दावा दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा जाँच के लिए स्वीकारा जायेगा तथा यदि दुर्घटना की तिथि पर पॉलिसी के सभी नियमों का पालन किया गया पाया गया तो उसे स्वीकार कर लिया जायेगा ।

(ठ) दावे की सूचना तिथि से 60 (साठ) दिनों के अंदर दावे से संबंधित सभी समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

(ड) संपूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति होने के बाद उस तारीख से 10 कार्य के दिनों में दावे निपटाए जाने चाहिए ।

(ढ) पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम बढ़ाने या उसमें संशोधन करने या आरएफपी नियमों तथा शर्तों में परिवर्तन करने से संबंधित पॉलिसी दस्तावेज के किसी भी मानक क्लॉज में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा ।

(ण) दर्शायी गयी कार्डों की संख्या सूचक है और यदि कार्डों की संख्या बढ़ानी है तो प्रीमियम दर पर चर्चा की जायेगी और निम्न स्लैब अनुमत होगा । तथापि, यदि कार्ड की संख्या जितनी बतायी गयी उससे कम हो तो बतायी गयी प्रीमियम दर जारी रहेगी ।

(त) दावे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे :-

<u>दुर्घटना मृत्यु दावे के लिए -</u>

(क) विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित दावा फॉर्म ।

(ख) मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल अथवा प्रमाणित प्रति ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

(ग) एफआईआर, पंचनामा / इन्क्वेस्ट पंचनामा की मूल अथवा प्रमाणित प्रति ।

*अतिरिक्त दस्तावेज जैसे मेडिकल रिपोर्टें, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट आदि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा मामले की जरूरत के अनुसार माँगे जा सकते हैं ।

कार्ड जारीकर्ता बैंकों द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तथा बैंक की मुहर लगी घोषणा :-

(1) बैंक निम्न बातों के साथ घोषणा करे कि :-

(क) कार्डधारक के पास रूपे कार्ड है जो रूपे आईआईएन पर जारी किया गया है और 16 अंकों का कार्ड क्रमांक भी लिखें ।

(ख) 90/45 दिनों के इस्तेमाल का मापदंड पूरा किया गया है ।
(सिस्टम के लेन-देन लॉग को शामिल करें)

(ग) नामिति के विवरण (एनइएफटी विवरण के साथ) ।

स्थायी संपूर्ण विकलांगता दावा :-

(क) विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित दावा फॉर्म ।

(ख) रिहाई कार्ड जिसमें मामले की जानकारी हो और अस्पतालीकरण की अवधि एवं विकलांगता का प्रतिशत दर्शाया जाये जो संबंधित / इलाज कर रहे फिजीशियन / सर्जन द्वारा विधिवत प्रमाणित हो ।

(ग) दुर्घटना के संबंध में करायी गयी सभी जाँचों की तथा सभी अन्वेषणों की मूल प्रतियाँ* ।

(घ) अतिरिक्त दस्तावेज, यदि आवश्यक हों तो, जो हानि की गुणवत्ता के आधार पर माँगे जायेंगे ।

*नोट : यदि दावा दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ किसी विशिष्ट जीवनेतर बीमा कंपनी के पास जमा की गयी हों तो उनकी प्रतियाँ रूपे कार्ड जारीकर्ता बैंक के शाखा प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करवायी जायें ।

कार्ड जारीकर्ता बैंकों द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर तथा बैंक की मुहर लगी घोषणा :-

(1) बैंक निम्न बातों के साथ घोषणा करे कि :-

(क) कार्डधारक के पास रूपे कार्ड है जो रूपे आईआईएन पर जारी किया गया है और 16 अंकों का कार्ड क्रमांक भी लिखें ।

(ख) 90/45 दिनों के इस्तेमाल का मापदंड पूरा किया गया है ।
(सिस्टम के लेन-देन लॉग को शामिल करें)

(ग) नामिति के विवरण (एनइएफटी विवरण के साथ) ।

*नोट : लेन-देन के प्रकार का मतलब है कि ग्राहक द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत के द्वारा किये गये सभी लेन-देन चाहे वे हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो उसी बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो) और/या अप्रत्यक्ष रूप से हो (बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक जो अन्य बैंक चैनलों पर लेन-देन कर रहा हो)

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

के द्वारा तथा के पक्ष में

प्राधिकृत हस्ताक्षर

मुंबई

दिनांक :.....

सेवा कर पंजीकरण क्रमांक : AABCH0738EST004

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी

चूँकि साथ में बताई गई पॉलिसी अनुसूची में बीमाकृत व्यक्ति (जिसका उल्लेख इसके आगे बतौर 'बीमाधारक' किया जाएगा) द्वारा पॉलिसी के प्रस्ताव में, पॉलिसी अनुसूची में किए गए सभी वक्तव्य/घोषणा तथा यहाँ पर सम्मिलित आश्वासन/वचन जिसके दम पर यह अनुबंध किया है यह माना जाता है कि वह यहाँ पर बीमा हेतु इस करार का आधार होंगे तथा अनुसूची में सम्मिलित किए गए सभी को जिसका ब्यौरा अनुसूची में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में है (जिसका उल्लेख इसके आगे बतौर 'बीमाकृत व्यक्ति' किया जाएगा) वे सभी दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड से ली गई पॉलिसी में (जिसका उल्लेख इसके आगे बतौर 'कंपनी' किया जाएगा) आवरित रहेंगे ।

अब यह पॉलिसी साक्ष्य देती है कि कंपनी द्वारा अनुसूची में दर्शाई अवधि या अन्य अवधि जिसके लिए कंपनी संदर्भित पॉलिसी का नवीकरण का भुगतान स्वीकृत करे उसके लिए निर्दिष्ट प्रीमियम का भुगतान कंपनी को किया गया है तथा यहाँ पर बताई गई शर्तें, प्रावधान, अपवर्जन और यहाँ पर प्रकट किए गए या निहित या समर्थित नियमों के मुताबिक कंपनी बीमाकृत व्यक्ति को निम्न सीमाओं तक इसके आगे निर्दिष्ट तरीके से भुगतान करेगी ।

1. जिसे केवल बाहरी दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष तौर पर तीव्र तथा स्पष्ट शारीरिक चोट पहुँची हो, उसे यहाँ पर अनुसूची में दर्शाई गई किसी भी बीमाकृत व्यक्ति के संदर्भ में उल्लिखित राशि का भुगतान किया जायेगा ।

   क) यदि बीमाकृत व्यक्ति की दुर्घटना से होने वाली चोट केवल 12 महीनों के अंदर उसकी मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष और एकल तौर पर कारणदेह होने पर पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा की रकम ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगी ।

   ख) यदि बीमाकृत व्यक्ति की दुर्घटना से होने वाली चोट की वजह से केवल 12 महीनों के अंदर उसे स्थायी तथा संपूर्ण नुकसान हुआ हो :

      1. जैसे कि दोनों आँखों की रोशनी सदा के लिए चली जाए, या दोनों हाथ या पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हो जाएँ या कोई एक संपूर्ण हाथ तथा एक संपूर्ण पैर कट जाए या ऐसे ही किसी एक आँख की रोशनी चली जाए या ऐसे एक आँख की रोशनी चली जाए तथा एक हाथ या एक पैर पूरे अलग

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

हो जाए, कट जाए तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा की राशि ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगी ।

2. दो हाथ या दो पैर, कोई भी एक हाथ तथा एक पैर, या किसी एक आँख की रोशनी चली जाना तथा एक हाथ या एक पैर गँवाना, ऐसी स्थिति में पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा की राशि ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगी ।

ग. यदि बीमाकृत व्यक्ति की दुर्घटना से होने वाली चोट की वजह से केवल 12 महीनों के अंदर उसे स्थायी तथा संपूर्ण नुकसान हुआ हो :

1. जैसे कि एक आँख की रोशनी सदा के लिए चली जाए, या एक हाथ या एक पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हो जाए तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा की राशि की पचास प्रतिशत (50%) राशि ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगी ।

2. जैसे कि एक आँख की रोशनी सदा के लिए चली जाए, या एक हाथ या एक पैर प्रत्यक्ष तौर पर संपूर्ण अलग हुए बिना निष्क्रिय हो जाए तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी में दर्शाई गई मूल बीमा की राशि के पचास प्रतिशत (50%) राशि ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को देय होगी ।

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुच्छेद (ख) और (ग) के संदर्भ में हाथ अलग होने का तात्पर्य है कि कलाई से हाथ अलग हो जाए या टखनी से पैर अलग हो जाए ।

घ. यदि ऐसी चोट जो प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावी हो तथा ऐसी स्थायी, संपूर्ण और एकल चोट से बीमाकृत व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करने में असमर्थ हो या किसी व्यवसाय या पेशे में कार्यरत न हो पाए तो बीमा अनुसूची में दर्शाई गई मूल बीमा राशि के सौ प्रतिशत (100%) एकमुश्त में बीमाकृत व्यक्ति को देय होगी ।

च. यदि ऐसी चोट जो दुर्घटना होने के 12 महीनों के अंदर पूर्ण और/तथा अंशतः तौर पर सदा के लिए भौतिक तौर पर निम्नलिखित अवयव को शरीर से अलग करे तथा सही में नुकसानदेह हो तो ऐसे मामलों में बीमाकृत व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार से मूल बीमा राशि लागू होगी ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

दुर्घटना की वजह से होनेवाली स्थायी संपूर्ण विकलांगता के लाभ की तालिका - तालिका (ए)

विकलांगता	संपूर्ण बीमा राशि के प्रतिशत (%) में निर्दिष्ट मुआवजा
1. स्थायी संपूर्ण विकलांगता	100%
2. स्थायी और असाध्य पागलपन/उन्माद	100%
3. दोनों हाथ या पैर स्थायी एवं संपूर्ण तौर पर गँवाना	100%
4. दोनों आँखों की रोशनी स्थायी एवं संपूर्ण तौर पर चली जाना	100%
5. एक हाथ या पैर और एक आँख स्थायी एवं संपूर्ण तौर पर गँवाना	100%
6. स्थायी और संपूर्ण तौर पर वाणी गँवाना	100%
7. नीचला जबड़ा पूरा बाहर निकल जाना	100%
8. चबाने की क्षमता पूरी तरह से गँवाना	100%
9. केन्द्रीय ज्ञानतंत्र या सीना या औदरिक/उदर संबंधी अवयव का पूर्ण तथा स्थायी नुकसान होने पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए तथा पूर्णकालीन सहायता के बिना जीवन की जरुरी गतिविधियाँ करने में असमर्थ हो जाए ।	100%
10. दोनों कानों की श्रवणशक्ति स्थायी एवं संपूर्ण रुप से गँवाना	75%
11. एक हाथ या पैर स्थायी एवं संपूर्ण रुप से गँवाना	50%
12. एक आँख की रोशनी स्थायी एवं संपूर्ण तौर पर चली जाना	50%
13. एक कान की श्रवणशक्ति स्थायी एवं संपूर्ण रुप से गँवाना	15%
14. एक आँख का लेन्स स्थायी एवं संपूर्ण रुप से गँवाना	25%

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

15. चारों उंगलियों का इस्तेमाल करने में अक्षम और किसी एक हाथ का अंगूठा गँवाना	40%
16. किसी एक हाथ की चारों उंगलियों का इस्तेमाल करने में अक्षम	20%
17. दोनों में से किसी एक हाथ का अंगूठा गँवाना	
(क) दोनों अस्थि जोड़	20%
(ख) एक अस्थि जोड़	10%
18. दोनों में से किसी एक हाथ की एक उंगली संपूर्ण रुप से गँवाना	
(क) एक अस्थि जोड़	2%
(ख) दोनों अस्थि जोड़	3.5%
(ग) तीनों अस्थि जोड़	5%
19. पैर के अंगूठे स्थायी तौर पर गँवाना	
(क) संपूर्ण एक पैर	15%
(ख) दोनों बड़े जोड़	5%
(ग) एक बड़ा जोड़	2%
(घ) दोनों अंगूठे (बड़े जोड़ के अलावा प्रत्येक जोड़)	2%
20. पैर में फ्रैक्चर या घुटने के उपर की हड्डी अलग हो जाना	10%
21. पैर की लंबाई कम से कम 5 सेमी कम हो जाना	7.50%
22. कोहनी, कमर या घुटने का एनकीलोसिस / संधिग्रह होना	20%

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

अपवर्जन

कंपनी निम्नलिखित हालातों में मुआवजा के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगी :

1. एक से अधिक पूर्वगामी उपनियमों के मुताबिक बीमाकृत व्यक्ति को समान अवधि से समान विकलांगता के लिए मुआवजा ।

2. जो व्यक्ति उपनियम/धारा (क), (ख) या (घ) के तहत दाखिल किया गया हो और उसे भुगतान देय हो तथा उसी व्यक्ति के उपलक्ष्य में एक बार दावे का भुगतान किया गया हो । तथापि, यदि लागू होगा तो वैद्यकीय खर्च तथा मृतदेह के वहन के किराए का भुगतान अतिरिक्त तौर पर किया जाएगा ।

3. ऐसे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत किसी एक बीमा अवधि के दौरान एक से अधिक दावा करने पर पॉलिसी की अनुसूची में निर्दिष्ट कंपनी की अधिकतम देयता की राशि से देय राशि अधिक हो जाती हो जो ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के संदर्भ में इस पॉलिसी के उपनियम (क) में निर्दिष्ट राशि से अधिक हो ।

4. बीमाकृत व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु, चोट या विकलांगता यदि निम्न कारणों से हो ।

   क) जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या या आत्महत्या करने की कोशिश की हो ।

   ख) नशीले / मादक पदार्थ - शराब या ड्रग के प्रभाव में रहना ।

   ग) हवाईजहाज उड़ाना या बलून में उड़ना, हवाईजहाज या बलून में प्रवेश करते समय या उतरते समय या दुनिया के किसी भी मानक स्तरवाले विधिवत् लाइसेंसीकृत हवाईजहाज या बलून में यात्री के अलावा सफर करना (भाड़ा दिया हो या अन्यथा) ।

   घ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर होने वाले यौन रोग, एड्स या पागलपन ।

   च) जहाँ पर बीमाकृत व्यक्ति आपराधिक इरादे से किसी कानून या नियम का उल्लंघन करे (प्रमाणित हवाईजहाज मतलब ऐसा हवाईजहाज जो यात्रियों की यातायात के लिए लाईसेंसीकृत हो) जो कि यथोचित प्राधिकृत हो फिर चाहे हवाईजहाज किसी का निजी हो या किसी के स्वामित्व में हो या नियमित एयरलाइन का हो या फिर चाहे यह हवाईजहाज एक इंजन या अधिक इंजन का हो (किराए पर लिया हो या अन्यथा) ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

5. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निम्नलिखित घटना से जुड़ी हुई हो : युद्ध, हमला, विदेशी आक्रमण, युद्धस्थिति (चाहे युद्ध घोषित हुआ हो या न हुआ हो), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, घुसपैठ, बगावत, सेनाद्वारा या किसी अन्य द्वारा अन्यायपूर्वक सत्ता का ग्रहण, पकड़, गिरफ्तारी, अंकुश, सभी राजा, युवराज या जो भी किसी देश के सामर्थ्यशाली लोग हो उनका कारावास ।

6. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या बीमारी या व्याधि की वजह से मृत्यु होनेपर मुआवजे का भुगतान -

   क. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आयनिक विकिरणपात से दृश्य हो या वह सहायक हो या आणविक इंधन की रेडियोधर्मिता से संदूषण से हुआ हो या आणविक इंधन के ज्वलन से पैदा होने वाले आणविक कचरे से हुआ हो । इस अपवर्जन के प्रयोजन के संदर्भ में विखंडन की स्वयं-चालित प्रक्रिया भी शामिल है ।

   ख. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आणविक हथियार या पदार्थ की वजह से दृश्य हो या वह सहायक हो ।

   बशर्ते यह भी कि इस पॉलिसी की विधि तथा शर्तें व नियमों का पूर्णत: पालन किया जा रहा हो (यहाँ पर निर्दिष्ट पॉलिसी के सारे पृष्ठांकन तथा नियमों को पॉलिसी का हिस्सा माना जाएगा) जिसमें बीमाकृत से जो भी कुछ संबंधित हो और/अथवा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इस पॉलिसी के तहत कंपनी की जिम्मेदारी आरंभ होने से पहले जो भी किया जाना अपेक्षित हो वह किया जा रहा हो ।

7. <u>गर्भावस्था अपवर्जन क्लॉज</u> इस पॉलिसी के बीमा में गर्भधारणा, गर्भावस्था, विलंबित / दीर्घकालीन प्रसव आदि से होने वाली मृत्यु या विकलांगता से उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर योगदान होने पर होनेवाली मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।
Note : For Legal interpretation English version will hold good.

शर्तें व नियम

1. दावे की सूचना :

क. 1 अप्रैल 2016 के दिन 00:00:00 बजे या उसके बाद से लेकर 31 मार्च 2017 को 23:59:59 बजे तक या उसके पहले होने वाली दुर्घटना के संदर्भ में सभी दावे rupay@newindia.co.in को सूचित किये जाएंगे ।

ख. दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड सारे दावों का पंजीकरण करेगी, तथा उसके विषय में सदस्य बैंक को 2 कार्यालयीन दिनों के अंदर दावा क्रमांक प्रदान करेगी ।

ग. दावे की सूचना दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर भेजनी चाहिए । यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुआ हो (तथा उसकी परिस्थिति गंभीर हो) और वह दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर दावा पेश करने में असमर्थ रहे तो ऐसी परिस्थिति में यह मामला दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड तहकीकात करने हेतु स्वीकृत करेगी, यदि संदर्भित पॉलिसी के अंतर्गत सभी नियम व शर्तें दुर्घटना के दिन सुसंगत हों तो उसे स्वीकार करेगी ।

2. जिस मामले के लिए दावा पेश किया गया हो उसके संदर्भ में सारे संतोषजनक सबूत कंपनी को भेजने होंगे । कंपनी की ओर से जब आवश्यक लगे तब उसके अनुसार वाजिब तौर पर किसी भी वैद्यकीय व्यक्ति को या अन्य प्रतिनिधि को बीमाकृत व्यक्ति की कथित चोट या विकलांगता तथा मृत्यु होने पर बीमाकृत व्यक्ति के मृतदेह की पोस्टमोर्टम जाँच करवाने हेतु की जाँच करने की अनुमति होती है । कंपनी द्वारा समयानुसार ऐसे सबूतों की मांग करने पर उन्हें कंपनी को पेश करना अनिवार्य है तथा पोस्टमोर्टम जाँच रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो तो लिखित स्वरुप में मांग करने के 14 दिनों के अंदर पेश करना आवश्यक है और यदि दृष्टि गँवाने के संदर्भ में दावा किया जाए तो बीमाकृत व्यक्ति को कंपनी को जैसे जरूरत लगे और योग्य महसूस हो वैसे इलाज तथा शल्यक्रिया बीमाधारक को स्वयं के खर्च पर करवानी पड़ेगी ।

दावा की सूचना के 60 दिनों के अंदर दावे से संबंधित सारे कागजात भेजना अनिवार्य है ।

संदर्भित पॉलिसी के तहत अदा की जाने वाली बीमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

3. कंपनी ऐसे किसी भी प्रकार के दावे के उपलक्ष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान करने हेतु जिम्मेदार नहीं होगी यदि ऐसा दावा कपटपूर्वक / छलपूर्वक / धोखाधड़ीपूर्वक किया गया हो अथवा किसी ने धोखादायक कथन या तरीका अपनाया हो चाहे वह फिर बीमाकृत व्यक्ति हो या बीमाकृत व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति हो ।

4. यह पॉलिसी प्रति वर्ष आपसी सम्मति से नवीकृत की जाएगी और ऐसे हालात में, नवीकरण प्रीमियम राशि पॉलिसी की अवधि खत्म होने के दिन या इसके पूर्व अथवा इसके आगामी नवीकरणों के पूर्व अदा करनी होगी ।

5. कंपनी कभी भी लिखित रूप में सूचित करते हुए पॉलिसी समाप्त करेगी, बशर्ते कि ऐसे मामले में कंपनी बीमाकृत व्यक्ति को पिछले प्रदत्त प्रीमियम की यथानुपात राशि अदा करेगी जिसमें से समाप्त हुई बीमा अवधि का प्रीमियम काटा जाएगा । ऐसी सूचना ठीक तरीके से पर्याप्त ठहरायी जाएगी यदि कंपनी ने बीमाकृत व्यक्ति के कंपनी में दर्ज अंतिम पते पर सही ढंग से भेजी हो और ऐसी सूचना बीमाकृत व्यक्ति को उस वक्त प्राप्त हुई है ऐसा माना जायेगा, जब वह डाक द्वारा सामान्य रुप से रवाना की जाने पर उसे प्राप्त होगी । बीमाकृत व्यक्ति रजिस्टर्ड डाक या पोस्टिंग प्रमाणपत्र द्वारा लिखित स्वरुप में सूचित करते हुए कभी भी पॉलिसी रद्द कर सकता है । ऐसी सूचना उस दिन से प्रभावशाली मानी जाएगी जिस दिन बीमाकृत व्यक्ति ने यह सूचना भेजी होगी या रवाना की होगी ।

   बशर्ते, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त सूचना भेजने से पहले पॉलिसी की अवधि के दौरान कोई दावा न किया गया हो, तो ऐसे मामले में, बीमाकृत व्यक्ति प्रीमियम की वह राशि पाने हेतु हकदार रहेगा जो कंपनी ने जब तक पॉलिसी विद्यमान थी तब तक का अल्पावधि शुल्क, प्रीमियम से काटने के बाद शेष बचती हो ।

6. कंपनी किसी भी प्रकार की सूचना लेने हेतु बाध्य नहीं है अथवा कंपनी उक्त पॉलिसी के संदर्भ में किसी ट्रस्ट, आदेश, दावा, अधिकार या व्यवहार के संबंध में सूचना स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं है । लेकिन केवल बीमाकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचना ही कंपनी के कर्तव्य निभाने के उपलक्ष्य में प्रभावशाली मानी जाएगी ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.

7. यदि पॉलिसी की जिम्मेदारी के तहत दावे की ग्राह्यता के संबंध में कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे विवाद स्वतंत्र तौर पर निम्नलिखित 3 लोगों की विवाद निवारण समिति के समक्ष निवारण हेतु प्रस्तुत किए जाएँगे और समिति का निर्णय करार में सम्मिलित सभी पक्षों पर बाध्य तथा बंधनकारक रहेगा ।

    1. दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि ।

    2. एनपीसीआई के प्रतिनिधि ।

    3. विवाद करनेवाले बैंक या बैंकों के प्रतिनिधि ।

यहाँ पर आगे यह भी स्पष्टतापूर्वक संमत तथा घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी बीमाकृत व्यक्ति के किसी भी दावे के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी का परित्याग कर दे तथा ऐसा अस्वीकृत दावा जो अस्वीकरण के दिन से 12 महीनों के अंदर यदि न्यायालय में मुकदमे की विषय वस्तु ना बन पाए तो सभी प्रकार से दावा बहिष्कृत किया हुआ माना जाएगा तथा तत्पश्चात यहाँ से पुन:प्राप्ति योग्य नहीं रहेगा ।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तें, नियमों, अपवर्जनों तथा सीमाओं के अधीन ।

कृपया ध्यान दें :- प्रीमियम का चेक अस्वीकृत होने पर पॉलिसी प्रारंभ से स्वयंचालित तरीके से रद्द हुई है ऐसा माना जाएगा ।

नोट : कानूनी विवेचन के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा ।

Note : For Legal interpretation English version will hold good.